


नम्बर अहक हुकम में	तारीख हुकम /2021	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1722		<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट बेरा पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बालेसरिया प0ह0 बालेसरिया मू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बेरा तहसील बनेड़ा जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदास्तन/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली अल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

नम्बर - 114 /2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1- अलोलदेवी पत्नी देवकरण जाट निवासी बालेसरिया तहसील बनेड़ा
- 2-4 प्रेम, भुरा, रामचन्द्र पिता देवकरण जाट निवासी बालेसरिया तहसील बनेड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- भंवर लाल पिता बरमानन्द शर्मा निवासी बालेसरिया
- 2- काना लाल पिता लादु लाल गुजर निवासी बालेसरिया
- 3- शिव सिंह पिता भीम सिंह राजपूत निवासी निमखेड़ा तहसील माण्डल
- 4- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बनेड़ा
- 5- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा रायला तहसील बनेड़ा
- 6- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा एस के प्लाजा भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 25/05/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1012, 1013, 1017, 1018, 151, 152, 153, 1530, 1531, 1532, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 1690, 1691, 984 कुल किता 20 रकबा 5.7034 है० के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्बत् 2074 से 2077 ग्राम बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1012, 1013, 1017, 1018, 151, 152, 153, 1530, 1531, 1532, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 1690, 1691, 984 कुल किता 20 रकबा 5.7034 है० भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातदारी है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।


// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1012, 1013, 1017, 1018, 151, 152, 153, 1530, 1531, 1532, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 1690, 1691, 984 कुल किता 20 रकबा 5.7034 है० भूमि सीमा जानकारी के

30


लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये मुख्यनिरीक्षक बेरा को 2200/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति प्राप्त होने की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त छातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बेरा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय सन्वित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय बेरा पर सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा